न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 10/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/46**
दायर दिनांक :- 15.01.2021 **निर्णय दिनांक :- 02.01.2025**

1. हनुमानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
प्रतिवादी........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:- 1. श्री राजेन्दसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के मूल खसरा नम्बर 984 रकबा 100-02 बीघा भूमि पर वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था, वादी के पूर्वजों के कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर 984 का मोमीट्रेस नक्शा तैयार किया गया जिसका रकबा 100-02 बीघा है। लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा खसरा नम्बर 984 की खतौनी बन्दोबस्त तैयार करते समय गलती से खसरा नम्बर 984 का रकबा 100-02 बीघा के स्थान पर सरासर गलत तरीके से एवं मोमी ट्रेस नक्शा से कम रकबा 63-02 बीघा दर्ज कर दिया जबकि उक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादी के पूर्वजों का तथा उनके फौत होने के पश्चात वादी का खसरा नम्बर 984 रकबा 100-02 बीघा भूमि पर ही कब्जा काश्त है। वादी ने उक्त भूमि पर तारबंदी कर रखी है। इसलिये वादी को ग्राम बारू के खसरा नम्बर 984 रकबा 63-02 बीघा के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 984 का सही एवं वास्तविक रकबा 100-02 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 984 रकबा 63-02 बीघा की जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार ही नक्शे का रेखीय क्षेत्रफल है जिसमें वादी किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती करवाने का हकदार नहीं है। वादी का वाद काबिल खारिज के है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, वर्तमान जमाबंदी, तहसीलदार बाप का जवाब व मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

984 रकबा 63—02 बीघा की जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार ही नक्शे का रेखीय क्षेत्रफल है जिसमें वादी किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती करवाने का हकदार नही है। वादी का वाद दस्तावेजात साक्ष्यों से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो. बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/01/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर

बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. हनुमानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
प्रतिवादी........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :– 10/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है नीचे

	बाबत्
मुतालिक	फीस सदी सालाना आज की तारीख
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	को अदा करे।
वसूल याबी तक	

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.01.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।